

नई दिल्ली, 9 मई, 2003

का.आ. 528(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 26 मई, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 497 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने लॉयन्स क्लब ऑफ कर्णवती फाउण्डेशन, स्थित एवं डाकखाना-गांव ओगनज, गांव ओगनज, जिला अहमदाबाद, गुजरात द्वारा ओगनज गांव अहमदाबाद, गुजरात में स्थित अस्पताल को चलाने और मुफ्त नेत्र शल्य चिकित्सा की बढ़ती संख्या के लिए उपकरणों की खरीद की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में कम संख्या 7 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के आठ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लॉयन्स क्लब ऑफ कर्णवती फाऊण्डेशन, स्थित एवं डाकखाना-गांव ओगनज़, गांव ओगनज़, जिला अहमदाबाद, गुजरात द्वारा गांव ओगनज़, अहमदाबाद, गुजरात में स्थित अस्पताल को चलाने और मुफ्त नेत्र शल्य चिकित्सा की बढ़ती संख्या के लिए उपकरणों की खरीद की चलाई जा रही परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र चार करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार रुपए (एक करोड़ पच्चास लाख रुपए की कार्पस निधि सहित) रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 119-2003/फा. सं. एन.सी.-53/2003]

जी.सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)